

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर  
जिला चित्तौडगढ  
पीठासीन अधिकारी श्री सुखाराम पिण्डेल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 45 / 2018

दायर दिनांक 29.08.2018

उनवान		
रामा	बनाम	बाबरू

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक: 24.02.2021

—:निर्णय:—

पतरावली पेश हुई वकिल वादी हाजिर वकील वादी ने नोट प्रेस का प्रार्थना पत्र पेश किया जिससे पत्रावली खारिज कि जाती है अत -पतरावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम है



(सुखाराम पिण्डेल)  
उपखण्ड अधिकारी  
भूपालसागर

